संख्या–152

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 जुलाई, 2014
आषाढ़ 27, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1

संख्या 976/79-वि-1–14-1(क)-16-2014
लखनऊ, 18 जुलाई, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2014 पर दिनांक 18 जुलाई, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2014)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 की धारा 2 में, खण्ड (ङ) में, उपखण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(5) या वक्फ की किसी स्थावर सम्पत्ति"

उद्देश्य और कारण

वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1995) की धारा 54 में वक्फ सम्पत्तियों पर अप्राधिकृत अतिक्रमण को रोकने का प्राविधान है, किन्तु उसकी प्रक्रिया जटिल एवं लम्बी है जिससे वक्फ सम्पत्ति पर से अप्राधिकृत अध्यासन हटाने की प्रक्रिया प्रभावी नहीं रह गयी है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि सार्वजनिक भू-गृहादि की परिभाषा में वक्फ की स्थावर सम्पत्ति को सम्मिलित करने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 की धारा 2 को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2014 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस0 बी0 सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 976(2)/LXXIX-V-1–14-1(ka)-16-2014
Dated Lucknow, July 18, 2014

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sarvajanik Bhoo-Grihadi (Apradhikrit Adhyasiyon Ki Bedakhali) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 18, 2014.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) (AMENDMENT) ACT, 2014

(U.P. Act no. 15 of 2014)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Act, 2014.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 22 of 1972

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1972, in clause (e) *after* sub-clause (iv) the following sub-clause shall be *inserted*, namely :—

"(v) on any immovable property belonging to Waqf "

अधिनियम, ढ़ा दिया

प्राधिकृत पर से जिनिक गृहादि

2014

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 54 of the Waqf Act, 1995 (Act no. 43 of 1995) provides for preventing of unauthorised encroachments on Waqf properties, but the process therefor is complicated and time taking due to which removal of unauthorised occupation on Waqf properties has become ineffective. It has, therefor, been decided to amend section 2 of the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1972 to include the immovable property belonging to Waqf in the definition of public premises.

The Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) (Amendment) Bill, 2014 is introduced accordingly.

By order,
S. B. SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 210 राजपत्र(हि0)–2014–(575)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 55 सा0 विधायी–2014–(576)–500 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

210 RPH Premises-2014 Data 2 Vid. 2013